

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:-64 / 2019

(223 आर.टी. एच.टी.)

जी.सी.एम.एस .संख्या:-2019 / 00193

उनवान



विजयलक्ष्मी पत्नी जगमोहन जाति मीना निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली ।

ध्यारेलाल पुत्र ठन्डीराम जाति मीना निवासी रंगलाल का पुरा टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली ।

..अपीलांट / प्रतिवादीगण ।

बनाम

1. रामचरण पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी बातकापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली ।

..रेस्पोंडेन्ट / वादी

2. रामसिंह

3. रामचरण

4. शंकर

5. भरतू

6. भगवानसहाय

7. भरतलाल पुत्र रामसहाय

पिसरान शिबूराम

समस्त जाति मीना निवासही हौद का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली ।

8. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर करौली

10. हरभेजी पत्नी शिबूराम जाति मीना निवासी हौद का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली ।

...तरतीवी रेस्पोंडेन्ट ।

उपस्थित:-

1. श्री रामभरोसी गुप्ता अधिवक्ता अपीलांट

2. श्री सुनील कुमार जिंदल अधिवक्ता रेस्पोंड सं0 01 ता 07 व 10 ।

3. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

--: निर्णय ::--

दिनांक: 14.02.2022

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड टोडाभीम जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 03/2011 बउनवान रामचरण बनाम रामसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 250 रकबा 0.30 है। 251 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.50 है0 ग्राम चूडा मे वादी हिस्सा 1/4 प्रतिवादी न0 6 भरतलाल 3/4 हिस्से के रिकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार है। आराजी ख0नं0 252. रवा 0.01 है 253 रकबा 1.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 ग्राम चूडा में बादी 5/23 हिस्से का प्रतिवादी नंबर 5 के मृतक पिता शिबूराम का 9/23 हिस्सा तथा प्रतिवादी नंबर 7 का 9/23 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है बादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 मे सुविधा अनुसार मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है हिस्सानुसार काश्त करते चले आ रहे है। बादी के हिस्से में ख0नं0 251 रकबा 0.20 है0 खसरा नंबर 252, 253 के 5/23 हिस्से मे से वादी का पाड़ला रोड के सहारे कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 5 ता 8 खसरा नंबर 253 जो कि रोड के सहारे की जमीन है पर कब्जा करना चाहते है। खातेदार शिबू की मृत्यु हो चुकी है जिनके कायम मुकाम वारितान प्रतिवादी न0 1 ता 5 को बनाया गया है। आराजी न0 250 रकबा 0.30 है0, 251 रकबा 0.20 कुल किता 2 रकबा 0.50 है। ग्राम भूडा में वादी हिस्सा 1/4 एवं आराजी ख0नं0 252 रकबा 0.01 है0, 253 रकबा 1.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 ग्राम भूडा में वादी का हिस्सा 5/23 अलग कराए जाने हेतु प्राथमिक डिक्री फरमाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम मंगवाई जाये और प्रतिवादीगण को बादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न करने हेतु पाबन्द फरमाया जाये। मातहत अदालत ने दिनांक 29.07.2018 को निर्णय पारित कर दावा स्वीकार कर लिया तथा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय के हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त नं0 1 विजयलक्ष्मी विवादित भूमि में खसरा नं0 254 में हिस्सा 1/2 तथा खसरा नं0 252, 253 में हिस्सा 9/23 की खातेदार काश्तकार है तथा हाल रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी में इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। अपीलान्त विजयलक्ष्मी व अन्य सहखातेदारान जो रेस्पोंडेन्ट है, उनके मध्य आपसी सहमति से उक्त भूमि का मौके पर विभाजन हो रहा है। अपीलान्त की भूमि



राजस्व अपील प्राधिकारी  
सर्वार्थ बाघोपुर

व कब्जा खसरा नं० 254 रकवा 0.14 है० के सम्पूर्ण रकवा तथा खसरा नं० 252 में रकवा 0.01 हेक्टर व खसरा नं० 253 में पाडला रोड व कॉलेज की तरफ है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की जानकारी किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैध व गैर कानूनी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.06.2018 अपास्त किया जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

4. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 06.08.2019 को जानकारी प्राप्त हुयी तब नकल का आवेदन पेश किया, नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर म्याद 2 माह में पेश की गई।
5. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
6. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
7. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।
8. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलांट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।
9. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस् व रेस्पोंडेंट 02 लगायत 07 व 10 के मध्य आपसी सहमति से पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है। सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। रेस्पोंडेंट 01 की आराजीयात रोड के सहारे न होकर पहाड की तरफ है तथा सिंचाई नहर के उपर की तरफ है। मातहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं



राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व रायपुर

किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.06.18 को अपास्त फरमाया जावे।

10. जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 29.06.18 पूरी तरह से सही है। अपील मात्र रेस्पोंडेन्टगण को बेवजह परेशान करने के लिए की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
11. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
12. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2070-2073 वाके ग्राम भूडा पटवारा हल्का भूडा तहसील टोडाभीम अनुसार खसरा नंबर 254 रकबा 0.14 है0 में अपीलांटा विजयलक्ष्मी पत्नी जगमोहन जाति मीना हिस्सा 1/2 तथा खसरा नंबर 252 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 253 रकबा 1.15 है0 में विजयलक्ष्मी पत्नी जगमोहन जाति मीना का हिस्सा 9/23 दर्ज रिकॉर्ड है। अपील मीमों का मुख्य आधार अपीलांट के विरुद्ध दिनांक 26.06.12 को एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने के उपरान्त पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2018 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अदालत मातहत द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2018 प्रकरण संख्या 03/2011 में "मीट्स एण्ड बाउण्ड" के आधार पर विभाजन स्कीम तैयार करने के आदेश दिए है। अपील लगभग 06 वर्ष बाद एकपक्षीय कार्यवाही को सेट-असाईड करने के लिए यह अपील की गई है। परन्तु यहां अधिवक्ता प्रतिवादी/अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किए जाने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।
13. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह पाया गया कि अधिवक्ता की लापरवाही का खामियाजा पक्षकार नहीं भुगत सकता इसलिए देरी के समय को क्षम्य करते हुए अपीलांटगण के विरुद्ध अदालत मातहत के आदेश दिनांक 26.06.2018 की एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाती है। चूंकि प्राथमिक डिक्री "मीट्स एण्ड बाउण्ड" के आधार पर की गई है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अदालत मातहत को निर्देशित किया जात है कि प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांटगण को विधिवत सुनवाई का मौका दिया जाकर उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2019 पर उचित निर्णय पारित करे। अपीलांटगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम ने अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16.03.2023 को उपस्थित होंगे।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई सादोपुर

विजयलक्ष्मी बनाम रामचरण  
अपील संख्या 64/2019

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। निर्णय आज  
दिनांक 14.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)  
सजसद अपील प्राधिकारी  
राज्य सचिवालय